(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3325–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–9–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर प्रकरण कमांक 21/अ–13/2011–12.

1– काशीराम पिता गंगाराम गायरी
2– किशनलाल पिता गंगाराम गायरी
3– बापूलाल पिता गंगाराम गायरी
4– भंवरलाल पिता गंगाराम गायरी
5– मांगीलाल पिता गंगाराम गायरी
निवासीगण ग्राम सूठोद
तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर ....आवेदकगण

विरूद्ध

1– भंवरलाल पिता रामलाल गुर्जर
2– रामनारायण पिता रामलाल गुर्जर
3– भगवान पिता नाथूलाल गायरी
निवासीगण ग्राम जलोदिया
तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर ....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, मल्हारगढ के समक्ष संहिता की धारा 131, 133 एवं 134 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सुठोद तहसील मल्हारगढ़ स्थित सर्वे कमांक 560/2 रकबा 1.880 हेक्टेयर भूमि अनावेदक कमांक 1 व 2 के स्वामित्व की है एवं सर्वे कमांक 536/4 रकबा 0.200 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 560/3 रकबा 0.750 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 564

रकबा 0.190 हेक्टेयर भूमि अनावेदक कमांक 3 के स्वामित्व की है, जिस पर आने–जाने वाले रूढ़िगत मार्ग को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही अंतरिम तौर से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 21/अ–13/2011–12 दर्ज कर दिनांक 22–9–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर रूढ़िगत रास्ता उपलब्ध नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा स्वयं के द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में वादग्रस्त रास्ते में खड़े पुराने वृक्ष का होना, पुरानी खाई होना पाया गया है, फिर भी स्थल निरीक्षण से हटकर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था, किन्तु तहसीलदार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देने में भूल की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा रूढ़िगत रास्ते को जे.सी.बी. मशीन से खोदकर अवरूद्ध कर दिया गया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है, अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है । अतः उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । पटवारी द्वारा मौके पर रास्ता खुलवाये जाने के लिए किये गये स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ते में पेड़ लगे होना पाते हुए उक्त आशय की रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई है । ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि पर अंतरिम रास्ता नहीं खुलवाया जा सकता था, परन्तु तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक है कि तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे स्वयं मौके पर दोबारा स्थल निरीक्षण कर प्रकरण का दो माह में अंतिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–9–2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर